कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, धौलपुर

क्रमांक : भामा / 2014–2015 / 52 दिनांक : 05/02/2015

प्रेस नोट

1. भामाशाह योजना 2014 के अन्तर्गत राज्य के सभी ई–मित्र केन्द्रो को स्थाई नामांकन केन्द्र घोषित कर दिया गया है। सभी ई–मित्र केन्द्रो पर नये परिवारो के भामाशाह नामांकन तथा पहले के नामांकित परिवारों के शेष रहे सदस्यों को जोडने की सेवा प्रारम्भ हो चुकी है। इसके लिए जिला ई–मित्र सोसायटी द्वारा कियोस्क धारको को प्रशिक्षण दे दिया गया है।
2. नये परिवार के भामाशाह नामांकन के लिए पूरे परिवार को ई–मित्र कियोस्क पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए परिवार के मुखिया व कम से कम एक अन्य सदस्य का आधार नामांकन होना आवश्यक है तभी भामाशाह नामांकन किया जा सकता है। यह ध्यान रखे कि नामांकन हेतू आते समय परिवार महिला मुखिया के व्यक्तिगत खाते का विवरण आवश्यक रूप से लेकर आयें, बिना बैंक खाते के भामाशाह नामांकन नही होगा।
3. उक्त भामाशाह नामांकन के लिए ई–मित्र केन्द्र द्वारा नागरिको से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा,यदि इसके लिए कोई ई–मित्र धारक शुल्क लेता हुआ पाया गया तो कियोस्क तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जाऐगा।
4. इस सुविधा के सबंधं में यदि कोई शिकायत हो तो नागरिक लिखित शिकायत भामाशाह कन्ट्रोल रूम, जिला कलेक्ट्रेट, धौलपुर में कर सकते हैं अथवा भामाशाह कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 05642–220737 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

जिला कलक्टर एवं
जिला भामाशाह प्रबन्धक, धौलपुर

क्रमांक : भामा / 2014–2015 / 52 दिनांक : 05/02/2015

1. सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रेस नोट सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर एवं
जिला भामाशाह प्रबन्धक, धौलपुर